सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोकसभा

81

इक्यासीवां प्रतिवेदन

[जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने 57वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।]

(04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अप्रैल 2022/ चैत्र,1944(शक)

विषय सूची

		पृष्ट
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की सरंचना (2021-2022)		(iii)
प्राकथन		(v)
प्रतिवेदन	जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने **57**वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ।	**1**
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट-एक	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर ।	3
परिशिष्ट-दो	समिति की 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश का उद्धरण	9

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

लोकसभा

(2021-2022)

श्री रितेश पांडेय - **सभापति**

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री उत्तम चंद भारदवाज - अपर निदेशक
3. श्रीमती रजनी भगत - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में 57वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर यह 81वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 57वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 15.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने 28.01.2022 को 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 22.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियोंसिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत मे/ं मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली **रितेश पांडेय**
28 मार्च, 2022 **सभापति**
7 चैत्र ,1944 (शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**
लोक सभा

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022), लोक सभा

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा अपने 57वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा), जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पीआरसी) मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले से संबंधित था और जिसे दिनांक 15.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

2. समिति ने अपने 57वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में 05 टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी पांचों टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई उत्तर दिनांक 28 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गए थे। तदनुसार, 57वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट** में दिया गया है।

3. **समिति नोट करती है कि** जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पीआरसी) मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर **के वर्ष 2020-2021 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखाओं और समीक्षा विवरण को निर्धारित समय के भीतर दिनांक 03.12.2021 को एक साथ सभा पटल पर रखा गया था। समिति अपने मूल**

प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करने में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पीआरसी, उदयपुर, दोनों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। समिति आशा करती है कि पीआरसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई समय-सीमा का पालन करेंगे और साथ ही, सभी पीआरसी के अपेक्षित दस्तावेज भविष्य में भी समय पर रखे जाएंगे, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में आश्वासन दिया है।

नई दिल्ली
22 मार्च, 2022
1 चैत्र ,1944 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट-एक</u>

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।

<u>जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय), उदयपुर</u>

<u>सिफ़ारिश क्र. सं.: 21</u>

जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी), उदयपुर के वर्ष 2016-2017 से 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की जांच से समिति यह पाती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा इन वर्षों के लिए पीआरसी, उदयपुर के आवश्यक दस्तावेज संबंधित वर्ष (वर्षों) की 31 दिसम्बर की निर्धारित तिथि की तुलना में 02 माह से 08 माह (लगभग) तक के विलंब से सभा पटल पर रखे गए हैं।

समिति पिछले चार वर्षों में इस तरह के बार-बार होने वाले विलंब को गंभीरता से लेती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय और पीआरसी, उदयपुर को विलंब की इस आवर्ती अवधि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में पीआरसी, उदयपुर के आवश्यक दस्तावेज समय पर संसद के समक्ष सभा पटल पर रखे जाएं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

इस मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कदम (जैसे पीआरसी, उदयपुर के साथ नियमित बैठकें तथा केन्द्र को अनुदेश देना/मार्गदर्शन करना) उठाए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप पीआरसी, उदयपुर द्वारा वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत कर दिया गया था तथा उसे संसद के 2021-22 (03.12.2021) के शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

भविष्य में भी वार्षिक प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएगा।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. एच.11021/2/2021-स्टेट्स (पीआरसी) दिनांक 28 जनवरी, 2022)

सिफ़ारिश क्र. सं.: 22

समिति यह भी पाती है कि पीआरसी एक अनूठा मामला है, जिसमें एक ओर, केंद्र द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के माध्यम से इन पीआरसी को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर, इन पीआरसी का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित मेजबान विश्वविद्यालयों के पास है और इन पीआरसी के कामकाज में मंत्रालय का बहुत दखल नहीं है।

समिति का यह मत है कि इस अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद, मंत्रालय को सभी पीआरसी को अगले वर्ष के लिए अनुदान जारी करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले वर्ष के आवश्यक दस्तावेज पहले ही मंत्रालय को समय पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

सरकार का उत्तर

समिति की सिफारिशों/निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि सभी पीआरसी के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखे तथा उपयोग प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं तथा उनका निपटारा किया जाए। वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन संसद के 2021-22 के शीतकालीन सत्र में सभा पटल पर रखे जा चुके हैं ।

पीआरसी, उदयपुर ने भी 2020-21 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षित लेखाओं से संबंधित समस्त अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दिए हैं तथा उन्हें निर्धारित समय के भीतर संसद में सभा पटल पर रख दिया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इस बारे में अतिरिक्त रूप से सतर्क रहेगा तथा इन मामलों पर बारीकी से नज़र रखेगा।

यह भी जानकारी दी जाती है कि पीआरसी के पुनर्गठन एवं उन्हें पुन: क्रियाशील बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने तीन समितियों के गठन को अनुमोदित किया है। ये समितियां है: पीआरसी की समग्र कार्य प्रणाली की देखभाल के लिए पीआरसी संचालन समिति, पीआरसी द्वारा किए गए अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा करने तथा प्रस्तावों की जांच करने एवं विषय सुझाने के लिए पीआरसी वैज्ञानिक एवं सलाहकार समिति(पीएसएसी) और पीआरसी द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों की निरन्तर मॉनीटरिंग करने तथा अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. एच.11021/2/2021-स्टेट्स (पीआरसी) दिनांक 28 जनवरी, 2022)

<u>सिफ़ारिश क्र. सं.: 23</u>

समिति यह भी नोट करती है कि पीआरसी, उदयपुर सहित सभी पीआरसी के लेखाओं की लेखापरीक्षा संबंधित मेजबान विश्वविद्यालय के एक निजी लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, न कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों द्वारा। मंत्रालय ने बताया है कि तत्पश्चात उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और लेखाओं को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) को भेजा जाता है। इन लेखापरीक्षित लेखाओं की मंत्रालय में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा आगे लेखापरीक्षा की जाती है।

समिति सिफारिश करती है कि उन सभी वर्षों के लिए जिनके लिए पीआरसी, उदयपुर सहित सभी पीआरसी के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि तत्काल प्रभाव से और सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सभी पीआरसी के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए और सभी पीआरसी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को अलग-अलग से संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

पीआरसी, उदयपुर सहित सभी पीआरसी के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष सभा पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं।

जैसा कि समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में उनके लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पैनलबद्ध किए गए लेखापरीक्षकों द्वारा, लेखा परीक्षा की जाएगी समस्त पीआरसी को निदेश जारी किए जा चुके हैं।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. एच.11021/2/2021-स्टेट्स (पीआरसी) दिनांक 28 जनवरी, 2022)

सिफ़ारिश क्र.सं. 24

समिति को यह भी बताया गया था कि विलंब का एक अन्य कारण पीआरसी, उदयपुर में लेखाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए समर्पित कर्मचारियों की कमी थी और यह कि सभी निकायों / संस्थाओं / पीआरसी आदि का भर्ती प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था।

समिति, मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि संस्थान को तत्काल आधार पर पर्याप्त जनशक्ति प्रदान की जाए, ताकि लेखाओं को समय पर संकलित किया जा सके और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को सौंपा जा सके।

समिति यह जानकर भी हैरान है कि देश भर में 18 पीआरसी में से केवल पीआरसी,उदयपुर के लेखे अभी भी मैन्युअल रूप से तैयार और प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समिति का मत है कि लेखाओं के संकलन और ल्रेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करने में इतना लंबा समय लेने का यह भी एक कारण रहा है। समिति सिफारिश करती है कि पीआरसी, उदयपुर को अन्य 17 पीआरसी द्वारा की जा रही डिजिटल लेखा प्रणाली अपनानी चाहिए, क्योंकि इससे खातों के मैन्युअल रूप से संकलन के दौरान समय की बचत हो सकती है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने पीआरसी, उदयपुर के लिए अपेक्षित स्टाफ आबंटित किया है। पीआरसी, उदयपुर ने भी 2020-21 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षित लेखाओं से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दिए हैं तथा उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद में सभा पटल पर रख दिया गया था।

पीआरसी, उदयपुर ने डिज़िटल लेखा प्रणाली को अपना लिया है।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. एच.11021/2/2021-स्टेट्स (पीआरसी) दिनांक 28 जनवरी, 2022)

सिफ़ारिश क्र.सं. 25

मंत्रालय द्वारा समिति को यह बताया गया है कि उसने संस्थान को नियमित अनुस्मारक के माध्यम से और लेखाओं के निपटान के संबंध में उन्हें उपकरण और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करा कर आवश्यक दस्तावेजों

को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। तथापि,लगातार हो रहा विलंब स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस संबंध में मंत्रालय की ओर से अधिक समेकित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय, संस्थान को समय-सीमा का पालन करने के लिए याद दिलाने वाले पत्र भेजने के अलावा, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संस्थान के साथ नियमित बैठकें भी करेगा और पीआरसी, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में सम्मिलित प्रत्येक चरण के लिए फिर से समय-सारणी तैयार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्षित तिथियों का अनुपालन हो सके और आवश्यक दस्तावेज समय से सभा पटल पर रखे जाएं।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय पीआरसी, उदयपुर के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन कर रहा है तथा उनमें पीआरसी की शिकायतों से संबंधित उठाए जाने वाले मामलों का समाधान किया जा रहा है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में समय सीमाओं के अनुपालन से संबंधित पत्र सभी पीआरसी को भेजे जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीआरसी मंत्रालय द्वारा दी गई समय सीमाओं का अनुपालन करें।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन सं. एच.11021/2/2021-स्टेट्स (पीआरसी) दिनांक 28 जनवरी, 2022)

***

परिशिष्ट दो-

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

समिति की 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश का उद्धरण

समिति की बैठक, मंगलवार, 22 मार्च 2022 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष 'ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. चौधरी अली केसर महबूब
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - सहायक निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

X X X X X

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित **निम्नलिखित** चार (04) प्रारूप **प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

(एक)**X X X X X**;
(दो) **X X X X X;**
(तीन) **X X X X X;**
(चार) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पीआरसी), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने 57वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।]

4. विचार विमर्श के पश्चात, समिति द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकर कर लिया गया है और समिति द्वारा सभापति को, प्रतिवेदन / की-गई-कार्रवाई **प्रतिवेदनों** (वर्णनात्मक भाग) के तथ्यात्मक सत्यापन के अनुसार इन प्रतिवेदनों/की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को तैयार करने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. समिति ने **इन प्रतिवेदनों** को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

X X X X X

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।